समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रं.- /पी.बी.आर./20117

01. श्रीमति दौलीबाई पत्नि स्व. श्री बाबूलाल
02. हुकुम
03. बदामीलाल
04. पन्नालाल
05. निर्मल
सभी आ. स्व. श्री बाबूलाल
06. श्रीमति सुशीलाबाई पत्नि श्री शेषराम
07. श्रीमति मीराबाई पत्नि श्री नरेन्द्र
08. श्रीमति पुष्पाबाई पत्नि श्री शिवप्रसाद
09. श्रीमति मीराबाई पत्नि स्व. रामलाल
10. प्रताप
11. चांदनी
12. आरती
13. विक्रम
14. पवन
पुत्र - पुत्रीगण स्व. श्री रामलाल
सभी निवासीगण-ग्राम बरखेड़ा बौन्दर
तहसील हुजूर जिला भोपाल .... आवेदकगण

अभिभावक श्री.................
द्वारा आज दिनांक..............
को पेश।
अधीक्षक

विरूद्ध

01. श्री तारिक अबरार आ. श्री अबरार अहमद
निवासी-बैण्ड मास्टर चौराहा, बुधवारा
भोपाल
02. श्री आरिफ सुल्तान आ. श्री अबरार अहमद
निवासी-82, त्रिमूर्ती नगर क्वाटर्स,
नागपुर महाराष्ट्र
03. श्री सादिक सुल्तान आ. श्री अबरार अहमद
निवासी-रेल्वे ऑफिसर्स कालोनी,
बिलासपुर, जिला छत्तीसगढ़
04. श्रीमति निकहत अबरार पुत्री श्री अबरार अहमद
निवासी-के.डी.ए. कालोनी, राजमहू,
कानुपर उत्तरप्रदेश
05. म.प्र. शासन .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 17.04.2017 अंतर्गत प्रकरणक्रमांक-111/अपील/2010-11 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल पक्षकारगण बाबूलाल (मृतक) व अन्य विरूद्ध तारिक अबरार व अन्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / भोपाल / भू.रा. / 2017 / 1990

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–7–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 17–4–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है कि व्यवहार न्यायालय में अनावेदकगण का वाद निरस्त होने से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर आवेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पक्ष में कोई आदेश पारित कर जयपत्र जारी नहीं किया गया है । उक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	